



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ए.पी.-अ.-22042021-226714
CG-AP-E-22042021-226714

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181]
No. 181]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 22, 2021/वैशाख 2, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 22, 2021/VAISAKHA 2, 1943

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 20 अप्रैल, 2021

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (समामेलन पर शेयरधारकों अथवा सदस्यों को क्षतिपूर्ति के निर्धारण की पद्धति) विनियम, 2021

फा.सं.भा.बी. वि. वि.प्रा./विनियम/4/176/2021.—बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए की उप-धारा (2) के खंड (जेबी) एवं बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धाराओं 14 और 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 37ए की उप-धारा (4ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

उद्देश्य: शेयरधारकों अथवा सदस्यों के लिए क्षतिपूर्ति के निर्धारण की पद्धति के लिए व्यवस्था करना, समामेलन के परिणामस्वरूप अंतरिती बीमाकर्ता में उत्पन्न होने वाले जिनके हित अथवा उस पर जिनके अधिकार, मूल बीमाकर्ता में अंतरिती बीमाकर्ता के हित अथवा मूल बीमाकर्ता पर अंतरिती बीमाकर्ता के अधिकारों से कम हैं।

अध्याय-1

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (समामेलन पर शेयरधारकों अथवा सदस्यों को क्षतिपूर्ति के निर्धारण की पद्धति) विनियम, 2021 कहलाएँगे।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. (1) परिभाषाएँ- इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
 - (i) "अधिनियम" से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;

- (ii) "आस्तियों" में मूल बीमाकर्ता की संपत्तियों सहित सभी आस्तियाँ सम्मिलित हैं जिनका अधिग्रहण उक्त योजना की शर्तों के अनुसार अंतरिती बीमाकर्ता द्वारा किया जाएगा;
- (iii) "प्राधिकरण" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (iv) "नियत दिनांक" से अधिनियम की धारा 37ए की उप-धारा (4) के अनुसार सरकारी राजपत्र में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित, समामेलन की योजना में उल्लिखित दिनांक अभिप्रेत है, जिस दिनांक को समामेलन की योजना के उपबंध प्रवृत्त होंगे;
- (v) "क्षतिपूर्ति" से इन विनियमों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तथा शेयरधारकों अथवा सदस्यों को नकद या वस्तु रूप में देय राशि अभिप्रेत है, समामेलन के परिणामस्वरूप अंतरिती बीमाकर्ता में उत्पन्न होने वाले जिनके हित अथवा उस पर जिनके अधिकार, मूल बीमाकर्ता में अंतरिती बीमाकर्ता के हित अथवा मूल बीमाकर्ता पर अंतरिती बीमाकर्ता के अधिकारों से कम हैं;
- (vi) "देयताएँ" में मूल बीमाकर्ता की आकस्मिक देयताओं, यदि कोई हों, सहित देयताएँ शामिल हैं, जिनका अधिग्रहण अंतरिती बीमाकर्ता द्वारा योजना की शर्तों के अनुसार किया जाएगा;
- (vii) "मूल बीमाकर्ता" से वह बीमाकर्ता अभिप्रेत है जिसका समामेलन अंतरिती बीमाकर्ता के साथ समामेलन की योजना के अनुसार किया जाता है;
- (viii) "आस्तियों का अवशिष्ट मूल्य" से नियत दिनांक से तत्काल पहले के दिन को यथाविद्यमान मूल बीमाकर्ता की आस्तियों के मूल्य के समान राशि अभिप्रेत है, जिसमें से अध्याय III के उपबंधों के अनुसार संगणित उसकी देयताओं की कुल राशि घटाई गई हो;
- (ix) "समामेलन की योजना" से प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई तथा अधिनियम की धारा 37ए के उपबंधों के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा संस्वीकृत और अधिसूचित योजना अभिप्रेत है;
- (x) "शेयरधारक अथवा सदस्य" से समामेलन की योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किये जाने वाले नियत दिनांक से तत्काल पहले के दिन को यथाविद्यमान मूल बीमाकर्ता के शेयरधारक अथवा सदस्य अभिप्रेत हैं;
- (xi) "अंतरिती बीमाकर्ता" से वह बीमाकर्ता अभिप्रेत है जिसके साथ समामेलन की योजना के अनुसार मूल बीमाकर्ता समामेलित है।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) में, अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) में अथवा उनके अधीन बनाये गये विनियमों में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उन अधिनियमों अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों में क्रमशः उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

अध्याय-II

3. प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दिनांक से तत्काल पहले मूल बीमाकर्ता के शेयरधारक अथवा सदस्य के रूप में पंजीकृत है तथा ऐसे शेयरधारक अथवा सदस्य जिसका अंतरिती बीमाकर्ता में हित अथवा अंतरिती बीमाकर्ता पर ऐसे शेयरधारक अथवा सदस्य के अधिकार, मूल बीमाकर्ता में अंतरिती बीमाकर्ता के हित अथवा मूल बीमाकर्ता पर अंतरिती बीमाकर्ता के अधिकार से कम हैं, इन विनियमों के अनुसार क्षतिपूर्ति के लिए पात्र होगा।

बशर्ते कि पात्र शेयरधारकों और सदस्यों के संबंध में ऐसी क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए तभी विचार किया जाएगा जहाँ आस्तियों का अवशिष्ट मूल्य सकारात्मक हो।

4. इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार निर्धारित क्षतिपूर्ति का भुगतान नकद अथवा वस्तु रूप में किया जाएगा अथवा अंशतः नकद और अंशतः वस्तु रूप में किया जाएगा।
5. प्राधिकरण विनियम 6 के अनुसार गणना की गई आस्तियों के अवशिष्ट मूल्य के आधार पर मूल बीमाकर्ता के शेयरधारकों अथवा सदस्यों को देय क्षतिपूर्ति का निर्धारण करेगा जिनका अंतरिती बीमाकर्ता में हित अथवा अधिकार, मूल बीमाकर्ता में उनके हित अथवा अधिकारों से कम हों।

अध्याय-III

भाग I : शेयरधारकों अथवा सदस्यों को क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिए कार्यपद्धति

6. अवशिष्ट मूल्य का प्रभाजन निम्नलिखित अधिमानी क्रम से किया जाएगा:
 - (1) शीर्ष "अन्य प्रकार की पूँजी" के अंतर्गत गौण कर्ज;
 - (2) शीर्ष "अन्य प्रकार की पूँजी" के अंतर्गत अधिमानी शेयर पूँजी;
 - (3) मूल बीमाकर्ता के शेयरधारक अथवा सदस्य।

स्पष्टीकरण-

- (i) अधिमानी क्रम केवल वहीं पर लागू होगा जहाँ खंड (1) और (2) के अंतर्गत देयताओं का अधिग्रहण अंतरिती बीमाकर्ता द्वारा नहीं किया गया हो;
 - (ii) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त खंड (1) और (2) की स्थिति में समान रूप से स्थान (रैंक) पाने वाले प्राप्तकर्ताओं के संबंध में आगम राशि के वितरण के प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक वर्ग के लिए भुगतान या तो पूर्णतः किया जाएगा, या एक ही वर्ग के प्राप्तकर्ताओं के अंदर समान अनुपात में किया जाएगा, यदि दायित्वों को पूरा करने के लिए आगम राशि अपर्याप्त हो।
7. विनियम 6 के अनुसार गणना किये गये शेष अवशिष्ट मूल्य का वितरण प्रत्येक पात्र शेयरधारक अथवा सदस्य को ऐसे अनुपात में किया जाएगा जैसा कि ऐसे शेयरधारक अथवा सदस्य द्वारा धारित शेयरों की प्रदत्त पूँजी की राशि मूल बीमाकर्ता की कुल प्रदत्त पूँजी को वहन करती हो।

भाग II-आस्तियाँ

8. प्राधिकरण द्वारा आस्तियों के अवशिष्ट मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए, "आस्तियाँ" निम्नलिखित का कुल जोड़ होंगी:-
- 1) नियत दिनांक से तत्काल पहले हाथ में नकदी और किसी बैंक के पास शेषों की राशि, चाहे जमा अथवा चालू खाते में हो, तथा माँग पर अथवा अल्पकालीन सूचना पर मुद्रा, भारत के बाहर धारित शेष जो विनियम की बाजार दर पर परिवर्तित किया जा सकता हो;
 - 2) नियत दिनांक से तत्काल पहले वाले दिन को संबंधित मूल बीमाकर्ता द्वारा धारित किन्हीं प्रतिभूतियों, शेयरों, डिबेंचरों, बांडों और अन्य निवेशों का बाजार मूल्य;
- स्पष्टीकरण.** - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -
- (i) जहाँ किसी प्रतिभूति, शेयर, डिबेंचर, बांड अथवा अन्य निवेश का बाजार मूल्य असाधारण कारकों से प्रभावित होने के कारण यथोचित नहीं समझा जाता हो, वहाँ ऐसे निवेश का मूल्यांकन किसी उचित अवधि के दौरान उसके औसत बाजार मूल्य के आधार पर किया जा सकता है;
 - (ii) जहाँ किसी प्रतिभूति, शेयर, डिबेंचर, बांड अथवा अन्य निवेश के बाजार मूल्य का पता नहीं लगाया जा सकता, वहाँ केवल ऐसे ही मूल्य, यदि कोई हो, को हिसाब में लिया जाएगा जैसा कि जारी करने वाली संस्था की वित्तीय स्थिति, पिछले पाँच वर्षों के दौरान उसके द्वारा अदा किया गये लाभांश और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए उचित समझा जाता है।
- 3) अग्रिमों (ऋणों सहित), अन्य कर्जों, चाहे जमानती हों अथवा गैर-जमानती, की राशि उस सीमा तक जहाँ तक वे उचित रूप से वसूलीयोग्य समझे जाते हों;
 - 4) किसी भूमि और भवनों का मूल्य;
 - 5) सभी पट्टाधृत संपत्तियों के संबंध में अदा किये गये प्रीमियमों की कुल राशि, ऐसे प्रत्येक प्रीमियम के मामले में वह राशि घटाकर जो ऐसे प्रीमियम के लिए पट्टे की समाप्त अवधि का वही अनुपात वहन करती है जिसके संबंध में ऐसा प्रीमियम अदा करना होगा, जो पट्टे की कुल अवधि के लिए वहन करता है;
 - 6) सभी फर्नीचर, जुड़नारों और फिटिंगों का बहियों के अनुसार अवलिखित मूल्य, अथवा वसूलीयोग्य मूल्य, जो युक्तिसंगत समझा जा सकता है;
 - 7) मूल बीमाकर्ता की बहियों में दिखाई देने वाली अन्य आस्तियों का बाजार अथवा वसूलीयोग्य मूल्य, जो उपयुक्त हो।

भाग III - देयताएँ

9. प्राधिकरण द्वारा आस्तियों के अवशिष्ट मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए, "देयताएँ" निम्नलिखित का कुल मूल्य होंगी-
- (क) नियत दिनांक को विद्यमान सभी देयताएँ, और (ख) सभी आकस्मिक देयताएँ जो अंतरिती बीमाकर्ता से समामेलन की योजना के अंतर्गत नियत दिनांक को या उसके बाद उन्मोचन (डिस्चार्ज) करने की उचित रूप से प्रत्याशा की जा सकती है।
- बशर्ते कि (i) जीवन बीमाकर्ता के मामले में पालिसीधारकों की देयताएँ; और (ii) साधारण बीमाकर्ता के मामले में आईबीएनआर और आईबीएनईआर देयताएँ किसी स्वतंत्र बीमांकक द्वारा निर्धारित मूल्यांकन के आधार पर ली जाएँगी।

अध्याय - IV**विविध**

10. **कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति:** इन विनियमों के किसी भी उपबंध की प्रयोज्यता अथवा अर्थनिर्णय में उत्पन्न होने वाली किसी भी शंका अथवा कठिनाई को दूर करने के लिए प्राधिकरण का अध्यक्ष आवश्यक समझे गये रूप में उपयुक्त स्पष्टीकरण अथवा दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

डॉ. सुभाष सी. खुंटिया, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./45/2021-22]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA**NOTIFICATION**

Hyderabad, 20th April, 2021

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Manner of Assessment of Compensation to Shareholders or Members on Amalgamation) Regulations, 2021

F. No. IRDAI/Reg/4/176/2021.—In exercise of the powers conferred by sub section(4A) of section 37A read with clause (jb) of sub section (2) of section 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) and sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, namely: -

Objective: To provide for the manner of assessment of compensation for the shareholders or members whose interests in, or rights against, the transferee insurer resulting from amalgamation are less than his interest in, or rights against the original insurer.

Chapter - I**1. Short title and commencement**

- (1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Manner of Assessment of Compensation to Shareholders or Members on Amalgamation) Regulations, 2021.
- (2) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. (1) Definitions. -In these regulations, unless the context otherwise requires, -

- (i) “**Act**” means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);
- (ii) “**Assets**” includes all assets including the properties of the original insurer which shall, in terms of the Scheme, be taken over by the transferee insurer;
- (iii) “**Authority**” means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under sub-section (1) of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);
- (iv) “**Appointed Date**” means the date mentioned in the scheme of amalgamation, notified by the Central Government in the official gazette in terms of sub section (4) of section 37A of the Act, on which the provisions of the Scheme of amalgamation shall come into force;
- (v) “**Compensation**” means the amount assessed by the Authority in accordance with these regulations and payable either in cash or in kind to the shareholders or members whose interests in, or rights against, the transferee insurer resulting from amalgamation are less than his interest in, or rights against the original insurer;
- (vi) “**Liabilities**” includes the liabilities including contingent liabilities, if any, of the original insurer which shall, in terms of the Scheme, be taken over by the transferee insurer;
- (vii) “**Original insurer**” means the insurer which is amalgamated with the transferee insurer as per the scheme of amalgamation;
- (viii) “**Residual Value of Assets**” means the amount equal to the value of the assets of the original insurer as on the day immediately before the appointed date, less the total amount of liabilities thereof, computed in accordance with the provisions of Chapter III;
- (ix) “**Scheme of amalgamation**” means a Scheme prepared by the Authority and sanctioned and notified by the Central Government under the provisions of Section 37A of the Act;
- (x) “**Shareholders or members**” mean the shareholders or members of the original insurer immediately before the appointed date as may be specified under the Scheme of amalgamation;

(xi) “**Transferee Insurer**” means the insurer with whom the original insurer is amalgamated in accordance with the scheme of amalgamation.

(2) All words and expressions used herein and not defined in these regulations but defined in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), or in the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) or regulations made therein shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts or Rules and Regulations made thereunder.

Chapter – II

3. Every person who, immediately before the appointed date, is registered as a shareholder or a member of the original insurer and the interest in, or rights of such shareholder or member against the transferee insurer are less than the interest in, or rights against the original insurer, shall be eligible for compensation in accordance with these regulations.

Provided that the eligible shareholders or members shall be considered for payment of such compensation only where the residual value of the assets is positive.

4. The compensation assessed in accordance with the provisions of these regulations shall be paid either in cash or in kind or partially in cash and partially in kind.

5. The Authority shall assess the compensation payable to the shareholders or members of the original insurer, whose interest in, or rights against the transferee insurer are less than their interest in or rights against the original insurer, on the basis of the residual value of the assets as arrived at in accordance with regulation 6.

Chapter–III

Part I: Methodology for assessment of Compensation to Shareholders or Members

6. The residual value shall be apportioned in the following order of preference:

- (1) Subordinated debt under the head “other forms of capital”;
- (2) Preference share capital under the head “other forms of capital”;
- (3) Shareholders or members of the original insurer.

Explanation-

- (i) Order of preference shall be applicable only where the liabilities under clause (1) and (2) have not been taken over by the transferee insurer;
- (ii) it is further clarified that in case of clause (1) and (2) above, at each stage of the distribution of proceeds in respect of a class of recipients that rank equally, each of the class will either be paid in full, or in equal proportion within the same class of recipients, if the proceeds are insufficient to meet the obligations.

7. The remaining residual value arrived at in accordance with regulation 6 shall be distributed to every eligible shareholder or member in such proportion as the amount of paid-up capital of the shares held by such shareholder or member bears to the total paid up capital of the original insurer.

Part II-Assets

8. For the purpose of computation of residual value of assets by the Authority, "assets" shall be the sum total of the following: -

- 1) the amount of cash in hand and the amount of balances with any bank immediately before the appointed date, whether in deposit or current account, and money at call and short notice, balance held outside India being converted at the market rate of exchange;
- 2) the market value, as on the day immediately before the appointed date, of any securities, shares, debentures, bonds and other investments, held by the original insurer concerned;

Explanation. -For the purposes of this clause, -

- (i) where the market value of any security, share, debenture, bond or other investment is not considered reasonable by reason of its having been affected by abnormal factors, such investment may be valued on the basis of its average market value over any reasonable period;

- (ii) where the market value of any security, share, debenture, bond or other investment is not ascertainable, only such value, if any, shall be taken into account as is considered reasonable having regard to the financial position of the issuing concern, the dividend paid by it during the preceding five years and other relevant factors.
- 3) the amount of advances (including loans), other debts, whether secured or unsecured, to the extent to which they are reasonably considered recoverable;
- 4) the value of any land or buildings;
- 5) the total amount of premia paid, in respect of all leasehold properties, reduced in the case of each such premium by an amount which bears to such premium the same proportion as the expired term of the lease in respect of which such premium shall have been paid bears to the total term of the lease;
- 6) the written down value as per books, or the realisable value, as may be considered reasonable, of all furniture, fixtures and fittings;
- 7) the market or realisable value, as may be appropriate, of the other assets appearing in the books of the original insurer.

Part III-Liabilities

9. For the purpose of computation of residual value of assets by the Authority, "liabilities" shall be the total value of (a) all liabilities existing as on the appointed date, and (b) all contingent liabilities which the transferee insurer may reasonably be expected to discharge on or after the appointed date under the scheme of amalgamation.

Provided that (i) policyholders' liabilities in case of a life insurer; and (ii) IBNR and IBNER liabilities in case of a general insurer shall be taken on the basis of the valuation determined by an independent actuary.

Chapter – IV

Miscellaneous

10. **Power to remove difficulties:** In order to remove any doubts or difficulties that may arise in the application or interpretation of any of the provisions of these regulations, the Chairperson of the Authority may issue appropriate clarifications or guidelines as deemed necessary.

Dr. SUBHASH C. KHUNTIA, Chairman

[ADV.T.-III/4/Exty./45/2021-22]